

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह- सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक: बी-114-108(0001)/2013-51/आ0 दिनांक: 10.01.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में शीर्ष 2015-निर्वाचन-108 मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना -0001 मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय की 11 01 यात्रा व्यय इकाई के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन ₹ 12,000.00/- (बारह हजार) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए हैं। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमिक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	12,000.00	12,000.00
	योग:-	0.00	12,000.00	12,000.00

2 उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष- 2015-निर्वाचन-108 मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना -0001 मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय की 11 01 यात्रा व्यय इकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3 उप आवंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड-2015001080001 है।

4 यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम0-4-05/98/2561वि(2) दिनांक: 17.04.1998 एवं पत्रांक: 498/वि(2) दिनांक: 16.05.2013 के आलोक में उप आवंटित है।

5 वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उप आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6 किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान की औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7. यह राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के कार्यों के लिए आवंटित है इस आवंटित राशि में से पूर्व के वित्तीय वर्षों के किसी बकाया का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में किसी स्तर पर ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी।

9. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 3 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक:/नि0, दिनांक:

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक:/नि०, दिनांक:

प्रतिलिपि:

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, -सह-सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांक: 51/आ० दिनांक 10.01.2014 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 71 /नि०, दिनांक 01/02/14

प्रतिलिपि:

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।